न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/बालक न्यायालय हापुड

उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010023982024

CRIMINAL APPEAL/23/2024
Shoyeb Vs. State of U.P.
क्रिमिनल अपील संख्या 23 सन 2024

किशोर अपचारी ''श'' पुत्र अकरम अली द्वारा संरक्षक/पिता अकरम अली पुत्र रियासत निवासी ग्राम राजपुर, थाना सिम्भावली, जिला हापुड़।

– अपीलार्थी/किशोर

बनाम

उ0प्र0 राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (डी0जी0सी0 क्रिमिनल)हापुड, जिला हापुड।

– विपक्षी

मु0अ0सं0–123/2016
वाद सं0–10/2016
सरकार बनाम ''श''
अं0 धारा 376(2) (i) भा0दं0सं0 व 3/4 पोक्सो एक्ट,
थाना– सिम्भावली , जिला हापुड।

निर्णय

प्रश्नगत क्रिमिनल अपील अपीलार्थी द्वारा विपक्षी के विरूद्व विद्वान अवर न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड हापुड़ द्वारा मु0अ0सं0–123/2016,वाद सं0–10/2016,सरकार बनाम ''श'',अं0 धारा 376(2) (i) भा0दं0सं0 व 3/4 पोक्सो एक्ट, थाना सिम्भावली , जिला हापुड में पारित निर्णय/दोषसिद्धि सम्बन्धी आदेश दि0 15–04–2024 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है । जिसके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी/ किशोर ''श'' को दोषी पाकर 2 वर्ष 6 माह की सुधारात्मक अवधि के लिये राजकीय विशेष गृह इटावा भेजा गया ।

2– विद्वान किशोर न्याय बोर्ड से आहूत की गयी पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से प्रकट होता है कि मु0अ0सं0–123/2016 में संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुनफेद पुत्र हनीफ, निवासी ग्राम राजपुर थाना सिम्भावली, जिला हापुड़ ने दिनांक 07.03.2016 को थाना सिम्भावली में इस आशय की लिखित सूचना दी कि ''मेरे परिवार के अलीशान की बेटी ''म'' पुत्री अलीशान उम्र लगभग 06वर्ष जो आज दिनांक 07.03.2016 को घर के बाहर खेल रही थी तो पड़ोस का रहने वाला ''श'' पुत्र अकरम लगभग 03.00 बजे दोपहर को

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2026.06.10 13:53:39 IST
Reason: judgement
Location: District and Sessions Court

'म' को बहलाकर जंगल की तरफ ले गया। घर पर उसकी मां आबिदा ने 'म' को तलाश किया तो पता चला कि 'म' को अकरम का लड़का 'श' जंगल की तरफ ले गया। आबिदा ने ये बात मुजस्मिल व मुझे बताई हम उसे चूढ़ते हुए खेतों की तरफ गये तो 'म' रोती हुई बदहवास हालत में मिली। इसके कपड़ों पर खून लगा था इसने बताया कि 'श' ने उसके साथ गलत काम किया है बाद में शकील पुत्र सलामू जो गाँव का रहने वाला है, ने बताया कि उसने यह घटना देखी है उसे देखकर 'श' जहीर पुत्र शरीफ के बरसिम के खेत में 'म' को छोड़कर भाग गया। बच्ची रो रही थी हम इसी हालत में 'म' को थाने में लेकर आये है। आपसे अनुरोध है कि उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

3— प्रार्थी/वादी की उक्त तहरीर सूचना के आधार पर थाना सिम्भावली जिला हापुड़ में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक 'श' पुत्र अकरम अली के विरूद्ध धारा 376(2)(i) भा०द०सं० व 3/4 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत मामला मु०अ०सं० 129/2016 के रूप में पंजीकृत हुआ।

4— मामले में विवेचक द्वारा विवेचना प्रारम्भ कर आवश्यक कार्यवाही कर बाद विवेचना विधि उल्लंघन करने वाले बालक के विरूद्ध धारा 376 (2)(i) भा०द०सं० व 3/4 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र अपराध की जांच (विचारण) हेतु प्रेषित किया गया।

5— किशोर न्याय बोर्ड, हापुड़ द्वारा विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को उपरोक्त अपराध की जांच (विचारण) हेतु तलब किया गया। 'श' पुत्र अकरम अली को दिनांक 13.06.2016 को विधि का उल्लंघन करने वाला बालक घोषित करते हुए धारा 376 (2)(i) भा०द०सं० व 3/4 पोक्सो एक्ट के अपराध के सन्दर्भ में विधि का उल्लंपन करने वाले बालक के बयान बोर्ड द्वारा अभिलिखित किए गए। विधि का उल्लंघन करने वाले बालक ने अपराध से इंकार किया तथा जांच (विचारण) की मांग की।

6— अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक के समर्थन में तथ्य के कुल 07 साक्षियों पी०डब्लू० 01 मुनफैद, पी०ड़ब्लू० 02 शकील, पी०डब्लू० 03 'म', पी०ड़ब्लू० 04 डॉ० रोशन लाल, पी०डब्लू० 05 श्रीमती आबिदा, पी०ड़ब्लू० 06 नरेन्द्र कुमार शर्मा तथा पी०डब्लू० 07 डॉ० अन्जू सिंह को परीक्षित कराया गया। अभियोजन की ओर से किसी अन्य साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया था तथा अभियोजन साक्ष्य समाप्त की गई।

7— बाल अपचारी 'श' की ओर से अपने बचाव में डी०डब्लू0—01 के रूप में वसीम तथा डी०डब्लू०—02 के रूप में इस्माइल को परीक्षित कराया गया है।

8— अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त विधि का उल्लंघन करने बालक 'श' पुत्र अकरम अली के बयान दिनांक 08.05.2023 को अन्तर्गत धारा—313 लेखबद्ध

किए गए, जिसमें विधि का उल्लंघन करने वाले बालक ने अभियोजन कथानक को गलत व झूठा होना बताते हुए स्वयं के विरूद्ध कोई मौखिक साक्ष्य न होने, मुकदमा गलत चलने का कथन कर बचाव में सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन किया। बाल अपचारी के विधि विज्ञान प्रयोगशाला के संबंध में दिनांक 01.02.2024 को तथा दिनांक 20.03.2024 को धारा–164 दं०प्र०सं० के संबंध में –अतिरिक्त बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० अंकित किये गये।

9– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के उपरान्त विद्वान अवर न्यायालय/न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड हापुड़ द्वारा अपीलार्थी/किशोर ''श'' को धारा 376 (2)(i) भा०द०सं० व 3/4 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए 2 वर्ष 6 माह की सुधारात्मक अवधि के लिये राजकीय विशेष गृह इटावा भेजा गया ।

10– प्रश्नगत अपील में आलोच्य निर्णय/ आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पारित करते हुये गवाहान के मुख्य बयानो को आधार बनाया है किन्तु जिरह के बयान गवाह विवेचक के दिये गये बयान का सही अवलोकन नहीं किया पीडिता ने भी जिरह के दौरान उसके साथ बलात्कार होने की पुष्टि नहीं की थी तथा मैडीकल व विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अभियोजन के केस को साबित नहीं कर पा रही है। विवेचक आरोप पत्र प्रस्तुतकर्ता एस०आई० गोपाल को अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य में भी प्रस्तुत नहीं किया, तथा घटना का चश्मदीद साक्षी भी विवेचक को बताये गये घटना स्थल को साबित नहीं कर सका, तथा सभी प्रााईवेट गवाहान का साक्ष्य विरोधाभासी था. उसको भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व किशोर के लिए प्रस्तुत की नजीरो का भी सही प्रकार से अवलोकन नहीं किया था । साक्षी पी0डब्लू–1 मुनफैद / वादी मुकदमा ने अपनी जिरह में घटना स्थल जंगल से घर की दूरी 200 से 300 मीटर होना बताया, तथा कपडो पर खून लगा होना बताया तथा घटना को स्वयं देखने से मना किया है तथा पीडिता को सलवार व कमीज पहने हुये बताया तथा पीडिता के शरीर पर चोट नहीं देखी बताया तथा स्वयं को बी०डी०सी० का चुनाव लडना व मुस्कान का सगे होना नहीं माना तथा यह भी कहा है कि पीडिता के माता व पिता द्वारा स्वयं कार्यवाही नहीं की थी तथा तलाश करते समय आबिदा का साथ ना होना भी कहा है। उक्त गवाह का समर्थन अन्य गवाह नहीं करते है। पी0डब्लू–2 शकील गांव का आवारा व झगडालू है जिसका अपराधिक इतिहास है। उक्त गवाह स्वयं को चश्मदीद गवाह होने का कथन करता है परन्तु घटना स्थल भी गलत बताया है, तथा घटना स्थल से घर की दूरी 100 मीटर भी गलत बताई है तथा कपडे भी नेकर बनियान पीडिता ने पहने थे, गलत बताया, तथा पीडिता की जांघ व नेकर पर खुन लगा भी गलत बताया है। पी०डब्लू० 3 पीडिता ''एम'' ने घटना का समर्थन नहीं किया तथा अन्य गवाह का साक्ष्य भी पीडिता के बयानो से

अलग है तथा पीडिता ने आगे से बलात्कार करने से स्पष्ट इंकार किया है तथा पीछे से खुन निकलने का कथन किया है जिसकी पुष्टि डाक्टर भी नहीं करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मैडीकल भी फर्जी है तथा विवेचक ने भी सही विवेचना नहीं की है। पी०डब्लू० 5 आबिदा,पीडिता की माता है ,ने अन्य गवाहो की बातो का समर्थन नहीं किया । उक्त गवाह ने किशोर के पिता से मुनफैद की दुश्मनी व रंजिश होने का समर्थन किया है। उक्त सभी गवाह प्राईवेट गवाह है, परन्तु सभी गवाह ने एक दूसरे के बयानो का समर्थन नहीं किया है तथा घटना को अलग अलग प्रकार से होना व पीडिता द्वारा अन्य प्रकार के कपडे पहना होना बताया है, तथा पीडिता ने बलात्कार होने से इंकार किया है। पीडिता ने कहा है कि मल के स्थान पीछे से खुन निकला था परन्तु अन्य गवाह अग्रिम भाग से खुन निकलना बताते है तथा खुन शरीर पर लगा होना व कपडो पर लगा होने का कथन किया गया है परन्तु ऐसा कोई कपडा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है तथा गवाहान ने यह कथन किया है कि घटना के समय पीडिता का नेकर उतरा हुआ था तथा किशोरका भी नेकर उतरा हुआ था, तब यह कहना कि नेकर पर खुन लगा था, अभियोजन की सम्पूर्ण घटना झूठी व फर्जी साबित हो जाती है। उक्त केस की विवेचना दो विवेचक एस०आई० नरेन्द्र कुमार शर्मा एवं एस०आई० गोपाल शर्मा द्वारा की गई है। उक्त गवाह एस०आई० नरेन्द्र कुमार शर्मा तो प्रथम सूचना रिपोर्ट के उपरान्त के विवेचक है तथा उक्त गवाह के उपरान्त की विवेचना व आरोप पत्र एस०आई० गोपाल शर्मा द्वारा पूर्ण करके न्यायालय में प्रस्तुत की है परन्तु विवेचना के अन्तिम विवेचक एस०आई० गोपाल शर्मा को साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया है। सभी गवाहान का साक्ष्य एक दूसरे के विरूद्ध विरोधाभासी है तथा पीडिता सही बयान देने में सक्षम नहीं थी। 161 सीआर०पी०सी० का बयान कि शोएब पुत्र अकरम ग्राम राजपुर थाना सिम्भावली जिला हापुड भी बताना लिखा है परन्तु न्यायालय में जब बयान हुआ तो पीडिता ने थाना, गांव जिला व समय देखना आदि को बताने से भी इंकार किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय की नजीर कहती है कि नाबालिग व नासमझ का बयान यदि विश्वसनीय नहीं है तब संदेह की स्थिति उत्पन्न होने पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुख्य बयान को ही आधार बनाकर दोष सिद्धि की है जिरह में जो अति महत्वपूर्ण साक्ष्य आया वह घटना, घटनास्थल व गवाहान साक्ष्य को संदिग्ध बनाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह कहना कि 8 वर्ष का बच्चा बुरा काम क्या होता है, जानता है मानकर सजा भी गलत रूप से की है। किशोर का कभी कोई अपराधिक इतिहास भी नहीं रहा है तथा किशोर सम्पूर्ण साक्ष्य के आधार पर दोष मुक्त किये जाने योग्य है । उपरोक्त तथ्यों व कारणों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर किशोर न्याय बोर्ड का निर्णय दि0 18–4–2024 को अपास्त कर अपीलार्थी / किशोर अपचारी को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है ।

अपील के विरुद्ध विपक्षी की ओर से किसी प्रकार की लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी ।

11–. अंतिम बहस के स्तर पर अपीलार्थी की ओर से अपील में वर्णित आधारों के अनुरूप ही तर्क प्रस्तुत किये गये है तथा उक्त आधारो पर विद्वान अवर न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय अपास्त कर अपीलार्थी / किशोर अपचारी को दोषमुक्त किया जाने का अनुरोध किया गया है ।

प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपील का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी/किशोर अपचारी द्वारा गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। उसके द्वारा ऐसा अपराध पुनः कारित करने की भी संभावना है। अतः इस अपील में विधि का कोई बात नहीं है। इसलिए अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

12–. मैंने अपीलार्थी/किशोर अपचारी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक की तर्कपूर्ण बहस को सुना तथा अपीलार्थी / किशोर अपचारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल लिखित बहस एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

अपीलार्थी/किशोर अपचारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को के समर्थन में माननीय उच्चतम/उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्थाये प्रदीप बनाम हरियाणा राज्य 2024 (1) पी0एन0पी0 93 (एस.सी.), नितिन सिंह बनाम उ0प्र0राज्य 2021(3) जे0आई0सी0392 (इला0) (एल0बी0), चांद बनाम राज्य 2020(2) ए0ए0आर0 932 (एच0सी0), पंकज बनाम राजस्थान राज्य 2017 पी0एन0पी0 (क्रि0) 466 (एस. सी.),सुभाष हरनारायनजी लडडा बनाम महाराष्ट्र राज्य 2007(1) ए0ए0आर0 115 (एस0सी0), प्रस्तुत की गयी , जिनका मैंने ससम्मान अवलोकन किया ।

उभयपक्ष को सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा यह अपील विद्वान अवर न्यायालय/न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड हापुड़ द्वारा मु०अ०सं०–123/2016,वाद सं०–10/2016,सरकार बनाम ''श'',अं० धारा 376(2) (i) भा०दं०सं० व 3/4 पोक्सो एक्ट, थाना सिम्भावली , जिला हापुड में पारित निर्णय/दोषसिद्धि सम्बन्धी आदेश दि0 15–04–2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । जिसके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी/ किशोर ''श'' को दोषी पाकर 2 वर्ष 6 माह की सुधारात्मक अवधि के लिये राजकीय विशेष गृह इटावा भेजा गया ।

13–. विद्वान अवर न्यायालय/न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड के प्रश्नगत निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि विद्वान अवर न्यायालय/न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड द्वारा प्रश्नगत निर्णय पारित करते समय अपना यह निष्कर्ष पारित किया गया है कि –'' 31– उभयपक्षों की बहस विस्तारपूर्वक सुनी गई व पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया । वादी मुनफैद पुत्र हनीफ निवासी ग्राम राजपुर थाना सिम्भावली, जिला हापुड़ ने दिनांक 07.03.2016 को थाना सिम्भावली में इस

आशय की लिखित सूचना दी कि मेरे परिवार के अलीशान की बेटी 'म' पुत्री अलीशान उम्र लगभग 06 वर्ष जो आज दिनांक 07.03.2010 को घर के बाहर खेल रही थी तो पड़ोस का रहने वाला 'श' पुत्र अकरम लगभग 03.00 बजे दोपहर को 'म' को बहलाकर जंगल की तरफ ले गया। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–01 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 07.03.2016 को दोपहर के 2– 3 बजे मेरे परिवार के चाचा अलीशान की बेटी 'म' जिसकी उम्र लगभग 6 वर्ष थी घर के बाहर खेल रही थी तो हमारे पड़ोस का रहने वाला 'श' पुत्र अकरम 'म' को बहला–फुसलाकर जंगल की तरफ ले गया। 'म' की माँ आबिदा 'म' को तलाश करती रही तो गली में खेल रहे बच्चों ने आबिदा को बताया कि 'म' को 'श' जंगल की तरफ ले गया है। हमें 'म' जहीर के बरसिम के खेत में बदहवास हालत में मिली, जिसके कपड़ों पर काफी खून लगा हुआ था। शकील ने हमें बताया कि उसने यह घटना अपनी आंखों से देखी थी। इसके बाद हमने 'म' से पूछा तो 'म' ने हमें रोते हुए बताया कि 'श' ने मेरे साथ बुरा काम किया है। थाने वाले 'म' को मेडिकल के लिए सरकारी अस्पताल ले गए। मेडिकल कराने के लिए 'म' की मां व महिला पुलिस साथ गई थी। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–01 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि 'म' की उम्र घटना के समय लगभग 06 वर्ष थी। घटनास्थल बरसिम के खेत के पास बेल पत्थर का पेड़ है। घटनास्थल 'म' के घर से 200 से 300 मीटर दूर है। लड़की को जब मैंने देखा तो लड़की बदहवास थी बेहोश नहीं थी। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–02 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि लगभग 3.15 बजे के करीब दिन में मुझे एक बच्ची के रोने व चिल्लाने की आवाज आ रही थी। आवाज सुनकर मैं खेत से बाहर आया तो देखा किधर से आवाज आ रही है। मैंने अलीशान की लड़की 'म' को जहीर के बरसिम के खेत में रोते चिल्लाते देखा। मैंने देखा हमारे गांव के अकरम का लड़का 'श' 'म' के ऊपर लेटा हुआ था। 'श' ने 'म' का कच्छा उतार रखा था और अपना कच्छा भी उतार रखा था। 'म' को पेशाब करने की जगह से खून निकल रहा था। 'श' मुझे देख कर भाग गया। 'श' को मैंने धमकाया तो वह वहां से भाग गया। मैंने 'म' से पूछा तो उसने मुझे बताया कि 'श' ने मुझे खाने की चीज खिलाने के बहाने यहां लाया था तभी 'म' के घरवाले उसे ढूंढते हुए वहां पर आ गए। 'म' के कपड़े भी खून में सने हुए थे। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–02 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मेरा खेत जहीर की खेत के बराबर में ही है। जहीर के खेत के पास नीम वह बेल पत्थर के पेड़ खड़े हैं। मैंने बरसिम के खेत में लेटे हुए देखा था। घटना स्थल से जहां काम कर रहा था उसकी दूरी 20 कदम है। मैंने दोनों को अच्छी तरह से देखा था। मैंने 'म' का निकलता हुआ खून पौधों पर लगा हुआ था तथा नेकर पर भी खून लगा हुआ था। मैं बच्ची के शोर की आवाज सुनकर घटना वाली जगह पर गया था। 'श' मुझे देखते ही भाग गया था। जब मैंने 'म' को देखा था तो वह रो रही थी बेहोश नहीं थी। दरोगा जी घटनास्थल पर उसी दिन गए थे। मैंने घटना स्थल पर घटना की

जगह दिखाई थी। मैंने दरोगा जी को अपने खेत में खड़े होने वाली जगह भी दिखाया थी। मैंने 'श' को दरोगा जी को भागने वाली जगह भी दिखाई थी। पी०डब्लू०–03 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कंथन किया है कि कि मैं 'श' को जानती हूँ। यह मेरे गाँव में रहता है। यह मुझे जंगल ले गया था। श ने मुझे कहा कि तुझे चीज खिलाने ले जा रहा हूँ। जंगल में 'श' ने मेरा नेकर–उतार दिया फिर उसने गलत काम करके मेरे खून निकाल दिया। खून मेरे पीछे मल की जगह से निकला था। उसने मेरे ऊपर लेट कर खून निकाला था। मेरे कपड़ों पर भी खून लग गया था। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–03 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मैं 'श' को पहले से जानती हूँ। मैं 'श' के साथ जंगल में खेल रही थी। पी०डब्लू०–04 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 08.03.2016 को मैं सीएचसी, सिम्भावली पर मेडिकल इंचार्ज के पद पर तैनात था । बाल अपचारी 'श' पुत्र अकरम निवासी राजपुर थाना सिम्भावली, जिला हापुड़ मेरे समक्ष चिकित्सीय परीक्षण हेतु उपस्थित किया गया। लिंग के नीचे की तरफ फेनुलम के पारा छोटा सा खरोच का निशान उपस्थित था। लिंग के अग्रभाग को दबाने पर अपचारी द्वारा दर्द होना बताया गया। मेरी राय में पेनिश में दर्द और खरोच यह दर्शाता है कि ये किसी चीज की रगड़ से होना प्रतीत होता है। पी०डब्लू०–05 ने अपनी गुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिन के लगभग 03.00 बजे अकरम का लड़का 'श' 'म' को बहला फुसलाकर जंगल की तरफ ले गया। 'म' हमें जहिर पुत्र शरीफ के खेत में मिली। वह बदहवास हालत में थी। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। 'म' रो रही थी। हम 'म' को घर पर ले आए उसने घर आकर मुझे बताया कि 'श' मुझे बहला फुसला यहां (जंगल) ले गया था और मेरे खून निकाल दिया। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–05 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मुझे बच्चों ने बताया था कि 'श' 'म' को बहकाकर जंगल की तरफ ले गया था। पी०डब्लू०–०6 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 07.03.2016 को मुनफैद पुत्र हनीफ निवासी राजपुर, थाना सिम्भावली, जिला हापुड़ की तहरीर पर मुकदमा अ०सं० 129/16 धारा 376 (2) (1) भा०द०सं० व 3/4 पोक्सो अधिनियम पंजीकृत होकर जिसकी विवेचना एस०आई० श्री गोपाल शर्मा को सुपुर्दगी की गयी। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–06 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि पत्रावली में संलग्न नक्शा नजरी एसआई गोपाल शर्मा द्वारा तैयार किया गया है जो पत्रावली में मेरे सामने है। जिसको मैंने लिखते व पढ़ते हुये देखा है और उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर से भली–भांति परिचित हूँ। जिस पर प्रदर्श क–03 डाला गया है। यह सही है कि पीड़िता 'म' की आयु 07 वर्ष है। 'श' का मेडिकल परीक्षण कराया था। पी०डब्लू०–07 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 07.03.2016 को मैं सीएचसी हापुड़ में बतौर महिला चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात थी। उस दिन शाम के 07.30 बजे पीड़िता 'म' पुत्री अलीशान को महिला कांस्टेबल सीमा आर्य चिकित्सीय परीक्षण के लिये थाने सिम्भावली से लाई थी। मैंने पीड़िता 'म' का

चिकित्सीय परीक्षण किया। उसका अन्दरूनी परीक्षण करने पर मैंने पाया कि इसकी योनि की झिल्ली चारों तरफ से फटी हुई थी और उसकी योनि में ऊंगली का टिप भी मुश्किल से जा रहा था मैंने पीड़िता का योनि स्राव लेकर उसको शुक्राणु तथा सूक्ष्म जांच के लिये सीएचसी हापुड़ के लिये भेजा था और पीड़िता के अन्दरूनी वस्त्र डीएनए जांच के लिये एफएसएल लखनऊ भेजे थे। पीड़िता की पैथोलोजी रिपोर्ट मेरे पास 11.04.2016 को लाई गई थी। जिसके आधार मैंने अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार की। पीड़िता की पैथोलोजी रिपोर्ट नं 34/2016 दिनांक 08.03. 2016 के अनुसार योनी स्राव में मृत शुक्राणु पाये गये थे। मेरी राय में पीड़िता के योनि की झल्ली में किसी बलन्ट ऑबजेक्ट से इन्जरी की गई थी। मेडिकल रिपोर्ट और सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट दोनो मेरे हस्तलेख में है। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–07 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि पीड़िता की आयु मेरे अनुसार 06 वर्ष थी। डी०डब्लू०–01 ने अपत्ती प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि 'श' मेरे खानदानी रिश्तेदारी /पट्टीदार में आता है। उस समय 'म' की उम्र करीब 06 वर्ष थी। घटना के सगय 'म' जंगल से निकली जो मेरे खेत के बराबर में ही है। शाम को करीब 05.00 बजे के आस पास 'म' के साथ घटी घटना के सम्बन्ध में मुझे पता चला था। मैं तीन बजे खेत पर था, तीन बजे मैं नहीं बता सकता कि 'श' कहां था। मैंने उन लोगों को समझाया कि घर की बात है घर पर ही निपटा लो लेकिन वो लोग नहीं माने और थाना चले गये इसलिए मैं नहीं गया। डी०डब्लू०–02 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि घटना के समय 'म' की उम्र करीब 06 वर्ष थी। जब मौके पर खेल रहे बच्चे वापस आ रहे थे। तब मुझे बच्चों से इस घ
टना का पता चला था। जब जंगल में बदहवास 'म' रोते हुए आयी तब सबसे पहले उसके घर वाले मौके पर आये थे। परिवार वालों के साथ गांव के और लोग मौके पर आ गये थे। जब मैं भीड़ के देखकर 'म' के पास गया तो 'म' रो रही थी व बड़ो में यह चर्चा चल रही थी कि उसके साथ गलत काम हो गया है। मैं आज इसीलिए आया हूँ कि भीड़ में जो बड़े लोग थे उनमें यह बात हो रही थी कि 'श' ने 'म' के साथ गलत काम किया है।

32– पत्रावली में संलग्न विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, महानगर की आख्या प्रपत्र संख्या Part N–171432 दिनांकित 12.12.2023 पत्रांक–695-DNA –2016 के अवलोकन से यह विदित है कि 1. रक्त नमूना 2. वैजाइनल स्लाइड 3 कच्छा पीड़िता 'म' से तथा 4. रक्त नमूना 5 पैजामा बाल अपचारी 'श' एवं पीड़िता 'म' से एकत्रित कर नियमानुसार विधि विज्ञान प्रयोगशाला वास्ते आवश्यक कार्यवाही संदर्भित किया गया। बाद परीक्षण आख्या किशोर न्याय बोर्ड के समकक्ष प्रेषित की गई। आख्या के अनुसार प्राप्त प्रदर्श 01 से 05 का DNA परीक्षण किया गया। स्त्रोत प्रदर्श 06 ('श' में) के बायोलोजिकल द्रव्य में उपस्थित स्त्री मूल का स्त्रोत स्त्रोत प्रदर्श 1 ('म' से) के समान पाया गया। (HID & Y-STR KIT) स्त्रोत प्रदर्श 02 व 03 ('म' से) पुरुष विशिष्ट एलील की उपस्थिति पायी गयी, किन्तु आंशिक

डीएनए प्रोफाइल जनरेट होने के कारण स्त्रोत प्रदर्श 04 ('श' से) के मिलान के सम्बन्ध में अनिमत दिया जाना सम्भव न हो सका। (HID & Y-STR KIT) डीएनए परीक्षण में जेनेटिक एनालाइजर व जीनमेपर आपटवेयर का प्रयोग किया गया। उक्त परीक्षण में मानक विधिया प्रयोग में लायी गयी।

33– बाल अपचारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बचाव में यह कथन किया गया है कि 'श' पुत्र अकरम द्वारा 'म' के साथ कोई गलत कार्य अथवा दुष्कर्म नहीं किया गया। वादी मुकदमा व अन्य द्वारा चुनावी रंजिश में बाल अपचारी पर झूठा मुकदमा योजित किया गया है। अपने बयान में पी०डब्लू–01 वादी मुकदमा द्वारा यह कहा गया है कि 'श' 'म' को बहला फुसलाकर ले गया। यह तथ्य कि 'म' बच्चों के साथ खेल रही थी और 'श' 'म' को खेत में ले गया यह तथ्य उसे 'म' की माता द्वारा बताया गया जो कि कहा–सुना तथ्य अथवा साक्ष्य है। किन्तु जब यह घटना स्थल पर पहुंची तो पीडिता 'म' उसे जहीर के खेत में मिली। चक्षुदर्शी साक्षी पी०डब्लू०–02 शकील द्वारा यह बयान दिए गए कि यह घटनास्थल से मात्र 20 मीटर की दूरी पर अपने खेत में दिनांक घटना 07.03.2015 समय करीब 03.15 pm दोपहर पर पानी लगा रहा था। किसी बच्चे की रोने व चिल्लाने की आवाज सुनकर जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तब उसने 'म' को जहीर के खेत में 'श' के साथ देखा। 'श' 'म' के ऊपर लेटा हुआ था तथा 'श' व 'म' के कच्छे उतरे हुए थ। 'म' के पेशाब के स्थान से खून निकल रहा था। 'श' साक्षी को देखते ही घटनास्थल से भाग गया। साक्षी पी०डब्लू०–05 पीड़िता की मां आबिदा के अनुसार 'श' 'म' को बहला–फुसलाकर खेत में ले गया। पी०डब्लू०–05 को 'म' के साथ खेल रहे बच्चो द्वारा बताया गया कि 'श' 'म' को ले गया था। पी०डब्लू०–06 द्वारा नक्शा नजरी घटनास्थल प्रमाणित किया गया। पी०डब्लू०–07 महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा बयान दिया गया कि उसके द्वारा पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण किया गया। पैथोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की योनी स्त्राव में मृत शुक्राणु पाए गए थे तथा पीड़िता की योनी की झिल्ली भी किसी बलन्ट वस्तु से चोट की गई थी। इसी के साथ पी०डब्लू०–04 चिकित्सक ने बाल अपचारी 'श' का मेडिकल करते हुए यह बयान दिया है कि परीक्षण के समय 'श' के लिंग के नीचे की तरफ फेनुलम के पास छोटा सा खरोच का निशान पाया गया तथा लिंग के अग्रभाग को दबाने पर 'श' को दर्द होने की पुष्टि भी की गई है। पीडिता 'म' पी०डब्लू०–03 के बयान के अनुसार 'श' उसे कोई चीज खिलाने के बहाने खेत में ले गया। 'श' से पीडिता का नेकर उतारकर उसके साथ गलत काम किया। पीड़िता ने 'श' को पहचानने की पुष्टि की। पीड़िता म द्वारा घर के पास व खेत दोनो जगह 'श' के साथ खेला जाना बताया गया है। बयान अन्तर्गत धारा 164 दं०प्र०सं० के संबंध में अंकित साक्ष्य में पीड़िता द्वारा यह कथन किया गया कि उक्त बयान में अंकित तथ्य कि 'श' 'म' को गोद में लेकर जंगल गया व 'श' ने 'म' के ऊपर लेटकर 'म' का खून निकाल दिया। पीड़िता ने बाल अपचारी अपराध करने वाले की पहचान 'श'

पुत्र अकरम के रूप में की है।

34– इसके अतिरिक्त बचाव साक्षी डी०डब्लू०–02 ने भी अपनी जिरह में घटना 02.30–03.00 दोपहर की बताई है। साक्षी के अनुसार उसे घटना के बारे में खेल रहे बच्चों से पता चला तथा जसने 'म' को रोते हुए भी देखा तथा बडो से भी 'म' के साथ गलत किए जाने की सूचना साक्षी को मिली । डी0डब्लू–1 के अनुसार उसने 'म' को खेत से निकलते हुए देखा। उसके अनुसार उसने बाल अपचारी 'श' व पीडिता 'म' के परिवारजन को समझाने का पूर्ण प्रयास किया कि उक्त घटना के संबंध में घर की बात है और उसे दोनो पक्ष घर पर ही निपटा ले।

35– पत्रावली पर दखिल विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या के अनुसार भी स्त्रोत प्रदर्श (05) (पैजामा) 'श' के बायलोजिकल द्रव्य में उपस्थित स्त्री मूल का स्त्रोत, स्त्रोत प्रदर्श (१) (रक्त नमूना पीड़िता 'म') के समान पाए जाने की पुष्टि हुई है। स्त्रोत प्रदर्श (02) (वैजाइनल स्लाइड 'म') व (3) (कच्छा 'म') से पुरुष विशिष्ट एलील की उपस्थिति पाई गई, किन्तु आंशिक डी०एन०ए० प्रोफाईल जनरेट होने के कारण 'श' के रक्त नमूना से मिलान नहीं हो सका।

36–ऐसे में उपरोक्त साक्षीगण अभियोजन, बयान चिकित्सक, बयान पीड़िता, बयान विवेचक, आख्या विधि विज्ञान प्रयोगशाला उ०प्र० महानगर लखनऊ व साक्ष्य डी०डब्लू०–01, डी०डब्लू०–02 से यह स्पष्ट है कि बाल अपचारी 'श' द्वारा पीड़िता 'म' के साथ जबरदस्ती बलात्संग का अपराध कारित किया गया है।

37– बाल अपचारी के विज्ञान अधिवक्ता द्वारा अपने बचाव में यह कथन भी किया गया है कि बाल अपचारी 08 वर्ष का ही है ऐसे में बाल अपचारी 'श' द्वारा पीड़िता 'म' के साथ बलात्संग का अपराध शारीरिक क्षमता के अनुसार नहीं किया जा सकता। यदि 'श' द्वारा अपराध किया जाना साबित भी होता है तो बाल अपचारी की उम्र 08 वर्ष घटना के समय थी, जिस कारण 'श' को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 83 साधारण अपवाद का लाभ दिया जाना आवश्यक है। उपरोक्त साक्षीगण के बयान तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या के अनुसार 'श' घटना के समय शारीरिक व लैगिक क्षमता से बलात्संग का अपराध कारित करने हेतु सक्षम व परिपक्व था। जहाँ तक धारा–83 भा०दं०सं० का प्रश्न है उक्त साधारण अपवाद में धारा 82 की भाँति पूर्ण रूप से बाल अपचारीगण का अपवाद का लाभ नहीं दिया गया है। धारा–83 भा०दं०सं० के मानक के अनुसार 07 वर्ष से ऊपर व 12 वर्ष से कम आयु के शिशु को अपवाद का लाभ तब ही दिया गया है जब वह इतनी समझ का व परिपक्व न हुआ हो कि वह घटना के अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सकें। यदि शिशु (बाल अपचारी) इतनी समझ व परिपक्वता रखता है कि वह घटना के अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सकें, तब ऐसी स्थिति में शिश धारा–83 अपवाद का लाभ पाने का हकदार नहीं होगा।

38–वर्तमान प्रकरण में बाल अपचारी 'श' द्वारा 'म' के साथ बलात्संग का अपराध

कारित किया जाना साबित होता है। साक्षीगण के बयान के अनुसार पीड़िता 'म' 'श' व अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। खेलने वाले स्थान से बाल अपचारी बहला–फुसलाकर, पीड़िता के अनुसार कुछ खिलाने का लालच दे कर घर व खेलने वाले स्थान से 100–150 मीटर की दूरी पर ले गया। एकांत में सभी साथ खेल रहे बच्चों व आम जनमानस से दूर खेत में ले जाकर 'श' द्वारा 'म'के साथ गलत काम किया गया। 'श' द्वारा साक्षी पी०डब्लू०–03 को घटनास्थल पर पहुँचने पर घटना स्थल से भाग जाने की पुष्टि भी की गई है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि बाल अपचारी 'श' पीड़िता 'म' के साथ अवश्य कोई ऐसा कृत्य करने हेतु अपने साथ ले गया जो वह आम समाज, अथवा साथ खेल रहे बच्चो के सामने नही कर सकता है। 'श' का साक्षी पी०डब्लू०–03 को देखकर मौके पर रूककर स्वयं के अपने द्वारा कृत्य के संबंध में नासमझ व अपरिपक्वता साबित नहीं की गई अपितु घटनास्थल से भागकर स्वयं को गलत कार्य किए जाने के संबंध में डाँटे अथवा सजा पाने का डर होना साबित किया गया है। ऐसे में उपरोक्त अवलोकन से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि 'श' पुत्र अकरम को स्वयं द्वारा किए गए गलत कार्य व उसके परिणाम की पूर्ण समझ व परिपक्वता थी। वह घटना के समय अपने आचरण की प्रकृति व परिणामों का निर्णय करने में पूर्णतः सक्षम था। ऐसे में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था हीरालाल मलिक बनाम स्टेट, ए०आई०आर० 1877 एस०सी० 2236 तथा धारा–83 में उल्लेखित मानकों के अनुसार बाल अपचारी धारा 83 में वर्णित अपवाद का लाभ पाने का अधिकारी नहीं है।

39. इस प्रकार प्रस्तुत मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, साक्षियों, व विधि व्यवस्थाओं के विश्लेषण से अनुक्रूम में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक 'श' पुत्र अकरम अली के विरूद्ध धारा 376(2)(i) भा०द0सं० व 3/4 पोक्सो एक्ट का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होता है।''

14–. अपीलार्थी/किशोर अपचारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिपेक्ष्य में विद्वान अवर न्यायालय का अपीलार्थी/किशोर अपचारी ''श'' को दोषसिद्ध किए जाने का उपरोक्त निष्कर्ष इस अपीलीय न्यायालय को न्यायोचित एवं विधि सम्मत प्रतीत होता है क्योंकि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पत्रावली पर अभियेाजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत किए गए समस्त साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन करते हुए विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो के आधार पर विधि सम्मत रूप से पारित किया गया है । यहां अपीलार्थी की विद्वान अधिवक्ता द्वारा सर्वप्रथम यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियेाजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत तथ्य के साक्षियों में वादी मुकदमा घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और उसके द्वारा स्वयं अपनी आंखो से कोई घटना नहीं देखी गयी है, ऐसी स्थिति में उसके साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता , अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाये।

यह अपीलीय न्यायालय बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क

से सहमत नहीं है क्योंकि यहां यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष की तरफ से तथ्य के साक्षियों की श्रेणी में पी.डब्लू–1 मुन्फैद /वादी मुकदमा को परीक्षित कराया गया है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि – " **दिनांक 07.03.2016 को दोपहर के 2– 3 बजे मेरे परिवार के चाचा अलीशान की बेटी 'म' जिसकी उम्र लगभग 6 वर्ष थी घर के बाहर खेल रही थी तो हमारे पड़ोस का रहने वाला 'श' पुत्र अकरम 'म' को बहला–फुसलाकर जंगल की तरफ ले गया। 'म' की माँ आबिदा 'म' को तलाश करती रही तो गली में खेल रहे बच्चों ने आबिदा को बताया कि 'म' को 'श' जंगल की तरफ ले गया है। हमें 'म' जहीर के बरसिम के खेत में बदहवास हालत में मिली, जिसके कपड़ों पर काफी खून लगा हुआ था। शकील ने हमें बताया कि उसने यह घटना अपनी आंखों से देखी थी। इसके बाद हमने 'म' से पूछा तो 'म' ने हमें रोते हुए बताया कि 'श' ने मेरे साथ बुरा काम किया है। थाने वाले 'म' को मेडिकल के लिए सरकारी अस्पताल ले गए। मेडिकल कराने के लिए 'म' की मां व महिला पुलिस साथ गई थी। "**

अभियोजन पक्ष की तरफ से तथ्य के साक्षियों की श्रेणी में पी.डब्लू–2 शकील को परीक्षित कराया गया है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि – " **लगभग 3.15 बजे के करीब दिन में मुझे एक बच्ची के रोने व चिल्लाने की आवाज आ रही थी। आवाज सुनकर मैं खेत से बाहर आया तो देखा किधर से आवाज आ रही है। मैंने अलीशान की लड़की 'म' को जहीर के बरसिम के खेत में रोते चिल्लाते देखा। मैंने देखा हमारे गांव के अकरम का लड़का 'श' 'म' के ऊपर लेटा हुआ था। 'श' ने 'म' का कच्छा उतार रखा था और अपना कच्छा भी उतार रखा था। 'म' को पेशाब करने की जगह से खून निकल रहा था। 'श' मुझे देख कर भाग गया। 'श' को मैंने धमकाया तो वह वहां से भाग गया। मैंने 'म' से पूछा तो उसने मुझे बताया कि 'श' ने मुझे खाने की चीज खिलाने के बहाने यहां लाया था तभी 'म' के घरवाले उसे ढूंढते हुए वहां पर आ गए। 'म' के कपड़े भी खून में सने हुए थे। "**

विधि का यह सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि लैंगिक अपराध से सम्बन्धित मामलो में पीडिता ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी होती है। यहां पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि पीडिता द्वारा न्यायालय के समक्ष दर्ज कराए गए अपने सशपथ बयान में अभियुक्त द्वारा उसके साथ किए गए लैंगिक अपराधिक कृत्य का स्पष्ट तौर पर वर्णन किया है । अभियोजन पक्ष की तरफ से तथ्य के साक्षियों की श्रेणी में पी.डब्लू–3 पीडिता अव्यस्क ''म''को परीक्षित कराया गया है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि " **मैं 'श' को जानती हूँ। यह मेरे गाँव में रहता है। यह मुझे जंगल ले गया था। श ने मुझे कहा कि तुझे चीज खिलाने ले जा रहा हूँ। जंगल में 'श' ने मेरा नेकर–उतार दिया फिर उसने गलत काम करके मेरे खून निकाल दिया। खून मेरे पीछे मल की जगह से निकला था। उसने मेरे ऊपर लेट कर खून निकाला था। मेरे कपड़ों पर भी खून लग गया था।"**

अभियोजन पक्ष की तरफ से तथ्य के साक्षियों की श्रेणी में पी.डब्लू–5 आबिदा /पीडिता की मां को परीक्षित कराया गया है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि – " **लगभग एक साल 6 महीने पहले मेरे पति काम करने गए थे और मैं घर पर अकेली थी । मेरी बेटी 'म ' घर के बाहर खेल रही थी । दिन के**

लगभग 03.00 बजे अकरम का लड़का 'श' 'म' को बहला फुसलाकर जंगल की तरफ ले गया। 'म' हमें जहिर पुत्र शरीफ के खेत में मिली। वह बदहवास हालत में थी। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। 'म' रो रही थी। हम 'म' को घर पर ले आए उसने घर आकर मुझे बताया कि 'श' मुझे बहला फुसला यहां (जंगल) ले गया था और मेरे खून निकाल दिया। ''

इन साक्षीगण से की गयी प्रति परीक्षा में भी बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ऐसी कोई गंभीर विरोधाभासी विपरीत बात नहीं निकलवा पाए है जो अभियोजन कथानक को जड से प्रभावित करती हो या उसे प्रथम दृष्टया ही अविश्वसनीय कर देती हो। ऐसी स्थिति में इस तर्क का कोई लाभ बचाव पक्ष को प्रदान नहीं किया जा सकता ।

15. इस अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/किशोर अपचारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अन्य तर्क यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत किए गए तथ्य के साक्षी हितबद्ध साक्षी है, किसी स्वतन्त्र गवाह द्वारा समर्थन न किए जाने के कारण, केवल हितबद्ध साक्षियों की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।जिस पर विद्वान विचारण न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है, अतः अपीलार्थी/किशोर अपचारी को दोषमुक्त किया जाये ।

न्यायालय को बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण का यह तर्क संधारणीय प्रतीत नहीं होता है क्योंकि लैंगिक अपराध के मामले में स्वयं पीडिता ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी होती है और केवल अकेले उसी की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है ।

Ganesan v. State, (2020) 10 SCC 573 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न विधि व्यवस्थाओ का उल्लेख करते हुए यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि –

“10.1. Whether, in the case involving sexual harassment, molestation, etc., can there be conviction on the sole evidence of the prosecutrix, in Vijay [Vijay v. State of M.P., (2010) 8 SCC 191 : (2010) 3 SCC (Cri) 639] , it is observed in paras 9 to 14 as under : (SCC pp. 195-98)

“9. In State of Maharashtra v. Chandraprakash Kewalchand Jain [State of Maharashtra v. Chandraprakash Kewalchand Jain, (1990) 1 SCC 550 : 1990 SCC (Cri) 210] this Court held that a woman, who is the victim of sexual assault, is not an accomplice to the crime but is a victim of another person's lust and, therefore, her evidence need not be tested with the same amount of suspicion as that of an accomplice. The Court observed as under : (SCC p. 559, para 16)

‘16. A prosecutrix of a sex offence cannot be put on a par with an accomplice. She is in fact a victim of the crime. The Evidence Act nowhere says that her evidence cannot be accepted unless it is corroborated in material particulars. She is undoubtedly a competent witness under Section 118 and her evidence must receive the same weight as is attached to an injured in cases of physical violence. The same degree of care and caution must attach in the evaluation of her evidence as in the case of an injured complainant or witness and no more. What is necessary is that the court must be alive to and conscious of the fact that it is dealing with the evidence of a person who

is interested in the outcome of the charge levelled by her. If the court keeps this in mind and feels satisfied that it can act on the evidence of the prosecutrix, there is no rule of law or practice incorporated in the Evidence Act similar to Illustration (b) to Section 114 which requires it to look for corroboration. If for some reason the court is hesitant to place implicit reliance on the testimony of the prosecutrix it may look for evidence which may lend assurance to her testimony short of corroboration required in the case of an accomplice. The nature of evidence required to lend assurance to the testimony of the prosecutrix must necessarily depend on the facts and circumstances of each case. But if a prosecutrix is an adult and of full understanding the court is entitled to base a conviction on her evidence unless the same is shown to be infirm and not trustworthy. If the totality of the circumstances appearing on the record of the case disclose that the prosecutrix does not have a strong motive to falsely involve the person charged, the court should ordinarily have no hesitation in accepting her evidence.'

10. In State of U.P. v. Pappu [State of U.P. v. Pappu, (2005) 3 SCC 594 : 2005 SCC (Cri) 780] this Court held that even in a case where it is shown that the girl is a girl of easy virtue or a girl habituated to sexual intercourse, it may not be a ground to absolve the accused from the charge of rape. It has to be established that there was consent by her for that particular occasion. Absence of injury on the prosecutrix may not be a factor that leads the court to absolve the accused. This Court further held that there can be conviction on the sole testimony of the prosecutrix and in case, the court is not satisfied with the version of the prosecutrix, it can seek other evidence, direct or circumstantial, by which it may get assurance of her testimony.The Court held as under : (SCC p. 597, para 12)

'12. It is well settled that a prosecutrix complaining of having been a victim of the offence of rape is not an accomplice after the crime. There is no rule of law that her testimony cannot be acted upon without corroboration in material particulars. She stands at a higher pedestal than an injured witness. In the latter case, there is injury on the physical form, while in the former it is both physical as well as psychological and emotional. However, if the court of facts finds it difficult to accept the version of the prosecutrix on its face value, it may search for evidence, direct or circumstantial, which would lend assurance to her testimony. Assurance, short of corroboration as understood in the context of an accomplice, would do.'

11. In State of Punjab v. Gurmit Singh [State of Punjab v. Gurmit Singh, (1996) 2 SCC 384 : 1996 SCC (Cri) 316] , this Court held that in cases involving sexual harassment, molestation, etc. the court is duty-bound to deal with such cases with utmost sensitivity. Minor contradictions or insignificant discrepancies in the statement of a prosecutrix should not be a ground for throwing out an otherwise reliable prosecution case. Evidence of the victim of sexual assault is enough for conviction and it does not require any corroboration unless there are compelling reasons for seeking corroboration. The court may look for some assurances of her statement to satisfy judicial conscience. The statement of the prosecutrix is more reliable than that of an injured witness as she is not an accomplice. The Court further held that the delay in filing FIR for sexual offence may not be even properly explained, but if found natural,

the accused cannot be given any benefit thereof. The Court observed as under : (SCC pp. 394-96 & 403, paras 8 & 21)

‘8. … The court overlooked the situation in which a poor helpless minor girl had found herself in the company of three desperate young men who were threatening her and preventing her from raising any alarm. Again, if the investigating officer did not conduct the investigation properly or was negligent in not being able to trace out the driver or the car, how can that become a ground to discredit the testimony of the prosecutrix? The prosecutrix had no control over the investigating agency and the negligence of an investigating officer could not affect the credibility of the statement of the prosecutrix. … The courts must, while evaluating evidence, remain alive to the fact that in a case of rape, no self-respecting woman would come forward in a court just to make a humiliating statement against her honour such as is involved in the commission of rape on her. In cases involving sexual molestation, supposed considerations which have no material effect on the veracity of the prosecution case or even discrepancies in the statement of the prosecutrix should not, unless the discrepancies are such which are of fatal nature, be allowed to throw out an otherwise reliable prosecution case. …Seeking corroboration of her statement before relying upon the same, as a rule, in such cases amounts to adding insult to injury. …Corroboration as a condition for judicial reliance on the testimony of the prosecutrix is not a requirement of law but a guidance of prudence under given circumstances. … *

21. … The courts should examine the broader probabilities of a case and not get swayed by minor contradictions or insignificant discrepancies in the statement of the prosecutrix, which are not of a fatal nature, to throw out an otherwise reliable prosecution case. If evidence of the prosecutrix inspires confidence, it must be relied upon without seeking corroboration of her statement in material particulars. If for some reason the court finds it difficult to place implicit reliance on her testimony, it may look for evidence which may lend assurance to her testimony, short of orroboration required in the case of an accomplice. The testimony of the prosecutrix must be appreciated in the background of the entire case and the trial court must be alive to its responsibility and be sensitive while dealing with cases involving sexual molestations.’

(emphasis in original)

12. In State of Orissa v. Thakara Besra [State of Orissa v. Thakara Besra, (2002) 9 SCC 86 : 2003 SCC (Cri) 1080] , this Court held that rape is not mere physical assault, rather it often distracts (sic destroys) the whole personality of the victim. The rapist degrades the very soul of the helpless female and,therefore, the testimony of the prosecutrix must be appreciated in the background of the entire case and in such cases, non-examination even of other witnesses may not be a serious infirmity in the prosecution case, particularly where the witnesses had not seen the commission of the offence.

13. In State of H.P. v. Raghubir Singh [State of H.P. v. Raghubir Singh, (1993) 2 SCC 622 : 1993 SCC (Cri) 674] this Court held that there is no legal compulsion to look for any other evidence to corroborate the evidence of the prosecutrix before recording an order of conviction.

Evidence has to be weighed and not counted. Conviction can be recorded on the sole testimony of the prosecutrix, if her evidence inspires confidence and there is absence of circumstances which militate against her veracity. A similar view has been reiterated by this Court in Wahid Khan v. State of M.P. [Wahid Khan v. State of M.P(2010) 2 SCC 9 : (2010) 1 SCC (Cri) 1208] placing reliance on an earlier judgment in Rameshwar v. State of Rajasthan [Rameshwar v. State of Rajasthan, 1951 SCC 1213 : AIR 1952 SC 54] .

14. Thus, the law that emerges on the issue is to the effect that the statement of the prosecutrix, if found to be worthy of credence and reliable, requires no corroboration. The court may convict the accused on the sole testimony of the prosecutrix."

उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि लैंगिक अपराध से सम्बन्धित मामले में जहां पीडिता द्वारा अपनी सुसंगत साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत कर दी गयी हो , वहां किसी भी अन्य स्वतन्त्र साक्षी द्वारा समर्थन न किए जाने से अभियोजन कथानक पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है । महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आज के इस समय में मौहल्ले पडोस का कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध कोई गवाही न्यायालय में नहीं देना चाहता है । मौहल्ले पडोस का कोई भी आदमी सामान्य तौर पर अपने आप को कानूनी प्रक्रिया या न्यायालय में अपनी उपस्थिति से दूर रखना चाहता है । इसके अलावा मौहल्ले पडोस का कोई भी आम आदमी अपने आस पडोस या गांव /शहर के अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध कोई गवाही देकर अपने व्यक्तिगत सम्बन्ध प्रभावित नहीं करना चाहता , ऐसी स्थिति में किसी स्वतन्त्र व्यक्ति या गवाह द्वारा गवाही न दिए जाने से अभियोजन कथानक पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है , जबकि स्वयं पीडिता द्वारा अपने साथ घटित हुई घटना का सम्यक् रूप से समर्थन करते हुए न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है । जहां तक हितबद्ध साक्षी की साक्ष्य का प्रश्न है , तो इस सम्बन्ध में भी विधि सुस्पष्ट है कि किसी गवाह की गवाही को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह हितबद्ध साक्षी है । यदि हितबद्ध साक्षी द्वारा भी सुसंगत साक्ष्य के तौर पर अभियेाजन कथानक का समर्थनकारी सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत किया है , तो वह संधारणीय होता है । यहां इस मामले में भी स्पष्ट है कि पी0डब्लू–3 के रूप में स्वयं प्रकरण की अव्यस्क पीडिता द्वारा अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है और तथ्य के अन्य गवाह पी.डब्लू–1 मुन्फैद वादी मुकदमा है, पी0डब्लू–5 आबिदा है, जो पीडिता की माता है तथा प्रकरण के स्वाभाविक साक्षी है और ऐसी स्थिति में उसकी साक्ष्य को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वे हितबद्ध साक्षी है । साथ ही स्वतन्त्र साक्षी पी0डब्लू–2 शकील द्वारा भी अभियेाजन कथानक का समर्थनकारी सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत किया है, अतः इस तर्क का भी कोई लाभ बचाव पक्ष प्राप्त नहीं कर सकता ।

16. इस अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/किशोर अपचारी के

विद्वान अधिवक्ता द्वारा अन्य तर्क यह प्रस्तुत किया गया है कि तथ्य के साक्षीगण पी.डब्लू–1 मुन्फैद वादी मुकदमा, स्वतन्त्र साक्षी पी0डब्लू–2 शकील ,पी.डब्लू–3 पीडिता अव्यस्क ''म'',पी.डब्लू–5 आबिदा /पीडिता की मां के न्यायालय के समक्ष दिए गए ब्यानो में परस्पर विरोधाभास है, यह आपसी गंभीर विरोधाभास अभियोजन कथानक को स्वतः झूंठा व संदिग्ध कर देते है , जिस पर विद्वान विचारण न्यायालय / किशोर न्याय बोर्ड द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है, अतः अपीलार्थी/किशोर अपचारी को दोषमुक्त किया जाये ।

न्यायालय अपीलार्थी/किशोर अपचारी के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत नहीं है क्योंकि किसी भी प्रकरण में तथ्य के साक्षियों की साक्ष्य में छोटे मोटे विरोधाभास आने स्वाभाविक है। उक्त विरोधाभास ऐसे विरोधाभास नहीं है जो अभियोजन कथानक को जड से प्रभावित करते हो या उसे प्रथम दृष्टया ही झूठा और संदिग्ध कर देते हो । गवाहों में सामान्य विरोधाभास स्वाभाविक है , जो इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि उक्त गवाह सिखाये पढाये या रटे रटाये गवाह नही है । महत्वपूर्ण बात यह भी है कि प्रश्नगत प्रकरण की पीडिता की आयु घटना के समय मात्र **06 वर्ष** थी अर्थात प्रश्नगत प्रकरण की पीडिता एक अव्यस्क बालिका है। पी.डब्लू–1 मुन्फैद/वादी मुकदमा की साक्ष्य प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के लगभग 1 वर्ष 3 माह उपरान्त,पी0डब्लू–2 शकील व पी.डब्लू–3 पीडिता अव्यस्क ''म'' की साक्ष्य प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के लगभग 1 वर्ष 4 माह उपरान्त, व पी.डब्लू–5 आबिदा /पीडिता की मां की साक्ष्य प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के लगभग 1 वर्ष 6 माह उपरान्त, अंकित की गयी है और इतने समय उपरान्त उन्हे छोटी छोटी सभी बाते याद रह पाना सम्भव नहीं है। परन्तु यह महत्वपूर्ण है कि उक्त साक्षीगण द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के साक्ष्य में अभियोजन कथानक का संदेह से परे समर्थन किया है, ऐसी दशा में उक्त छोटे मोटे विरोधाभास से कोई विपरीत प्रभाव अभियोजन कथानक पर नहीं पडता है , अतः इस तर्क का भी कोई लाभ अपीलार्थी/किशोर अपचारी पक्ष को प्रदान नहीं किया जा सकता ।

17. अपीलार्थी/किशोर अपचारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अन्य तर्क यह प्रस्तुत किया गया है कि पीडिता की जो मैडिकल आख्या पत्रावली पर संलग्न है, उसके अनुसार पीडिता के परीक्षण में शरीर पर कोई वाह्य चोट नहीं पाई गई थी। ऐसी स्थिति में उक्त मैडिकल परीक्षण रिपोर्ट से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता है तथा अभियोजन कथानक स्वतः ही संदिग्ध हो जाता है । जिसे किशोर न्यायबोर्ड द्वारा अपना निर्णय/निष्कर्ष पारित करते समय विचार में नहीं लिया गया है । अतः अपीलार्थी/किशोर अपचारी को दोषमुक्त किया जाये ।

अपीलार्थी/किशोर अपचारी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क भी अपीलीय न्यायालय को न्यायोचित एवं विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि

पी०डब्लू०–07 डा0 अन्जू सिंह द्वारा अपने सशपथ बयान में पीडिता की मेडिकल रिपोर्ट और सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट दोनो को साबित किया गया है । जिसका उल्लेख किशोर न्यायबोर्ड द्वारा अपना निर्णय/निष्कर्ष पारित करते समय स्पष्ट रूप से किया गया है । उक्त चिकित्सक साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट कथन किया है कि **" मैंने पीड़िता 'म' का चिकित्सीय परीक्षण किया। उसका अन्दरूनी परीक्षण करने पर मैंने पाया कि इसकी योनि की झिल्ली चारों तरफ से फटी हुई थी और उसकी योनि में ऊंगली का टिप भी मुश्किल से जा रहा था मैंने पीड़िता का योनि स्राव लेकर उसको शुक्राणु तथा सूक्ष्म जांच के लिये सीएचसी हापुड़ के लिये भेजा था और पीड़िता के अन्दरूनी वस्त्र डीएनए जांच के लिये एफएसएल लखनऊ भेजे थे। पीड़िता की पैथोलोजी रिपोर्ट मेरे पास 11.04.2016 को लाई गई थी। जिसके आधार मैंने अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार की। पीड़िता की पैथोलोजी रिपोर्ट नं 34/2016 दिनांक 08.03.2016 के अनुसार योनी स्राव में मृत शुक्राणु पाये गये थे। मेरी राय में पीड़िता के योनि की झल्ली में किसी बलन्ट ऑबजेक्ट से इन्जरी की गई थी। मेडिकल रिपोर्ट और सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट दोनो मेरे हस्तलेख में है।"** इस साक्षी से की गयी प्रति परीक्षा में भी बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ऐसी कोई गंभीर विरोधाभासी विपरीत बात नहीं निकलवा पाए है जो अभियोजन कथानक को प्रथम दृष्टया ही गलत साबित करती हो । किशोर न्यायबोर्ड द्वारा अपना निर्णय/निष्कर्ष पारित करते समय पत्रावली पर दखिल विधि विज्ञान प्रयोगशाला की परीक्षण आख्या पर भी विचार किया गया है जिसके अनुसार भी **स्त्रोत प्रदर्श (05) (पैजामा) 'श' के बायलोजिकल द्रव्य में उपस्थित स्त्री मूल का स्त्रोत, स्त्रोत प्रदर्श (१) (रक्त नमूना पीड़िता 'म') के समान पाए जाने की पुष्टि हुई है। स्त्रोत प्रदर्श (02) (वैजाइनल स्लाइड 'म') व (3) (कच्छा 'म') से पुरुष विशिष्ट एलील की उपस्थिति पाई गई,** किन्तु आंशिक डी०एन०ए० प्रोफाईल जनरेट होने के कारण 'श' के रक्त नमूना से मिलान नहीं हो सका। परन्तु पीडिता द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सशपथ साक्ष्य मे अभियोजन कथानक का संदेह से परे समर्थन किया है ,अतः इस तर्क का भी कोई लाभ अपीलार्थी को प्रदान नहीं किया जा सकता ।

18. अपीलार्थी/किशोर अपचारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अन्य तर्क यह प्रस्तुत किया गया है कि किशोर अपचारी द्वारा जो साक्ष्य अपने सफाई साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है, उसे किशोर न्यायबोर्ड द्वारा अपना निर्णय/निष्कर्ष पारित करते समय विचार में नहीं लिया गया है । जबकि किशोर अपचारी द्वारा प्रस्तुत सफाई साक्ष्य से यह स्पष्ट इंगित होता है कि चुनावी रंजिश के कारण वादी मुकदमा द्वारा किशोर अपचारी को झूठा फसाया गया । अतः अपीलार्थी/किशोर अपचारी को दोषमुक्त किया जाये ।

अपीलार्थी/किशोर अपचारी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क भी अपीलीय न्यायालय को न्यायोचित एवं विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि किशोर अपचारी द्वारा जो साक्ष्य अपने सफाई साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है, उसमें डी0डब्लू–2 इस्माइल द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि ''मुनफैद ने बी0डी0सी0 का चुनाव लडा था । मुनफैद के चुनाव में 'श' के पिता अकरम ने उसका साथ नहीं दिया था । मुनफैद के खिलाफ गोकशी का मुकदमा

दर्ज है । 'श' के खिलाफ मुनफैद ने झूठी एफ0आई0आर0 लिखायी है ।'' परन्तु किशोर अपचारी की ओर से सफाई साक्ष्य दाखिल करने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि रंजिश के कारण किशोर अपचारी को झूठा फसाया गया । जबकि अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित कराए गए तथ्य के साक्षीगण पी.डब्लू–1 मुन्फैद वादी मुकदमा, स्वतन्त्र साक्षी पी0डब्लू–2 शकील ,पी.डब्लू–3 पीडिता अव्यस्क ''म'', पी.डब्लू–5 आबिदा /पीडिता की मां ने अपने सशपथ साक्ष्य में अभियोजन कथानक का संदेह से परे समर्थन किया है तथा इन साक्षीगण से की गयी प्रति परीक्षा में भी बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ऐसी कोई गंभीर विरोधाभासी विपरीत बात नहीं निकलवा पाए है जो वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत की गयी तहरीर के तथ्यों को झुठलाती हो या उसे प्रथम दृष्टया ही गलत साबित करती हो । अतः इस तर्क का भी कोई लाभ अपीलार्थी को प्रदान नहीं किया जा सकता ।

अन्य कोई महत्वपूर्ण तर्क अपीलार्थी/किशोर अपचारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलार्थी/किशोर अपचारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्चतम/उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्थाएंप्रश्नगत मामले के तथ्यों व परिस्थितियों में पूर्ण रूप से लागू नहीं होती है ।

उपरोक्त स्थिति में समस्त साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी/किशोर अपचारी ''श'' पुत्र अकरम अली द्वारा अव्यस्क पीडिता 'म ' के साथ बलात्संग / प्रवेशन लैंगिक हमला करने का आरोप अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित कराए गए तथ्य के साक्षीगण पी.डब्लू–1 मुन्फैद वादी मुकदमा, स्वतन्त्र साक्षी पी0डब्लू–2 शकील ,पी.डब्लू–3 पीडिता अव्यस्क ''म'', पी.डब्लू–5 आबिदा /पीडिता की मां , की साक्ष्य से संदेह से परे साबित हुआ है , जिसका समर्थन पी०डब्लू०–07 डा0 अन्जू सिंह की साक्ष्य तथा पैथोलोजी रिपोर्ट से होता है जिसके अनुसार भी **स्त्रोत प्रदर्श (05) (पैजामा) 'श' के बायलोजिकल द्रव्य में उपस्थित स्त्री मूल का स्त्रोत, स्त्रोत प्रदर्श (1) (रक्त नमूना पीड़िता 'म') के समान पाए जाने की पुष्टि हुई है। स्त्रोत प्रदर्श (02) (वैजाइनल स्लाइड 'म') व (3) (कच्छा 'म') से पुरुष विशिष्ट एलील की उपस्थिति पाई गई ।** ऐसी दशा में विद्वान अवर न्यायालय का अपीलार्थी/किशोर अपचारी ''श'' को दोषसिद्ध किए जाने का उपरोक्त निष्कर्ष इस अपीलीय न्यायालय को न्यायोचित एवं विधि सम्मत प्रतीत होता है । ऐसी दशा में अपीलार्थी/किशोर अपचारी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है ।

आदेश

अपीलार्थी / बाल अपचारी ''श'' पुत्र अकरम अली की दोषसिद्धि के सम्बन्ध में प्रश्नगत फौजदारी अपील निरस्त की जाती है तथा विद्वान अवर न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड हापुड़ द्वारा मु०अ०सं०–123/2016, वाद सं० 10/2016,सरकार बनाम ''श'',अं० धारा 376(2)(i) भा०दं०सं० व 3/4 पोक्सो एक्ट, थाना सिम्भावली , जिला हापुड में पारित निर्णय/दोषसिद्धि सम्बन्धी आदेश दि0 15–04–2024 की पुष्टि की जाती है । दोषसिद्ध अपीलार्थी/ किशोर अपचारी

''श'' पुत्र अकरम अली दौरान अपील जमानत पर है । उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है तथा उसके जमानतनामे व बन्धपत्र निरस्त किए जाते है ।

पत्रावली सुधारात्मक अवधि के प्रश्न पर सुनवाई हेतु लंच बाद पेश हो ।

दिनॉकः 08.06.2026

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
बालक न्यायालय,हापुड़।

08.06.2026: लंच बाद

पत्रावली लंच बाद दोषसिद्ध अपीलार्थी / किशोर अपचारी ''श'' पुत्र अकरम अली के सम्बन्ध में सुधारात्मक अवधि के प्रश्न सुनवाई हेतु पेश हुई। अपीलार्थी / किशोर अपचारी ''श'' पुत्र अकरम अली के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया ।

दोष सिद्ध अपीलार्थी / किशोर अपचारी ''श'' पुत्र अकरम अली की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी/किशोर अपचारी ''श'' पुत्र अकरम अली द्वारा नाबालिग अवस्था में नासमझी के कारण किया गया यह प्रथम अपराध है । इस घटना से पूर्व व उपरान्त का उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं रहा है । दौरान विचारण उसका आचरण सहयोगात्मक रहा है । अतः उसके आगामी भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए उसे कम से कम सुधारात्मक अवधि के दण्ड से दण्डित किया जाये ।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी / बाल अपचारी ''श'' पुत्र अकरम अली के अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम दण्ड देने का अनुरोध किया गया।

सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि विद्वान अवर न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड हापुड़ द्वारा अपीलार्थी/ किशोर ''श'' पुत्र अकरम अली को मु०अ०सं०–123/2016,वाद सं०–10/2016,सरकार बनाम ''श'',अं० धारा 376(2) (i) भा०दं०सं० व 3/4 पोक्सो एक्ट, थाना सिम्भावली , जिला हापुड में पारित निर्णय/दोषसिद्धि सम्बन्धी आदेश दि0 15–04–2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । जिसके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी/ किशोर ''श'' को दोषी पाकर 2 वर्ष 6 माह की सुधारात्मक अवधि के लिये राजकीय विशेष गृह इटावा भेजा गया । यहां यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी / बाल अपचारी ''श'' पुत्र अकरम अली इस प्रकरण में दौरान अपील जमानत पर रहा है । ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के मत में अपीलार्थी/ किशोर ''श'' पुत्र अकरम अली के सम्बन्ध में विद्वान अवर न्यायालय /किशोर न्याय बोर्ड हापुड़ द्वारा मु०अ०सं०–123/2016, वाद सं०–10/2016,सरकार बनाम ''श'',अं० धारा 376(2) (i) भा०दं०सं० व 3/4

पोक्सो एक्ट, थाना सिम्भावली , जिला हापुड में पारित निर्णय/दोषसिद्धि सम्बन्धी आदेश दि0 15–04–2024 की पुष्टि किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

आदेश

अपीलार्थी / किशोर अपचारी ''श'' पुत्र अकरम अली की दोषसिद्धि के सम्बन्ध में प्रश्नगत फौजदारी अपील निरस्त की जाती है तथा अपीलार्थी/ किशोर अपचारी ''श'' पुत्र अकरम अली के सम्बन्ध में विद्वान अवर न्यायालय / किशोर न्याय बोर्ड हापुड़ द्वारा मु०अ०सं०–123/2016, वाद सं०–10/2016,सरकार बनाम ''श'',अं० धारा 376(2) (i) भा०दं०सं० व 3/4 पोक्सो एक्ट, थाना सिम्भावली, जिला हापुड में पारित निर्णय/दोषसिद्धि सम्बन्धी आदेश दि0 15–04–2024 की पुष्टि की जाती है ।

पूर्व में जिला कारागार/बाल सम्प्रेक्षण गृह एवं राजकीय विशेष गृह इटावा में बितायी गयी अवधि समायोजित की जायेगी । आदेश की एक प्रति सम्बन्धित अवर न्यायालय को सूचनार्थ / अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये । कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी / किशोर अपचारी का सजायाबी वारन्ट बनाए जाने हेतु निर्णय/आदेश की प्रति के साथ विद्वान अवर न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली नियमानुसार अविलम्ब वापस भेजी जावे ।

दिनॉकः 08.06.2026

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
बालक न्यायालय,हापुड़।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनॉकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनॉकः 08.06.2026

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
बालक न्यायालय,हापुड़।